

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


महावीर पिता हजारी जाट नि. बावडी

बनाम

भैरू पिता धन्ना लाल जाट नि. बावडी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 863/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
०९.11.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बावडी प. ह. बावडी तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 853 रकबा 6.00 बीघा, आ. न.1125 रकबा 2.13 बीघा, आ.न. 1134/3 रकबा 3.07 बीघा, आ.न. 1154 रकबा 0.11 बीघा कुल कित्ता 4 रकबा 12.11 बीघा स्थित है। उक्त कृषि आराजी के अप्रार्थीगण पड़ोसी होकर उनको अपनी अपनी आराजी का सही सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण आये दिन फसल की बुआई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पड़ोसियान के विवाद करने वावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम बावडी प. ह. बावडी तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 853 रकबा 6.00 बीघा, आ.न.1125 रकबा 2.13 बीघा, आ.न. 1134/3 रकबा 3.07 बीघा, आ.न. 1154 रकबा 0.11 बीघा कुल कित्ता 4 रकबा 12.11 बीघा की बसामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 09.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)